तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेम सिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 70 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2022	अपीलार्थी खेम सिंह जोधा, निवासी ग्राम / पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.02.2022 में उसके द्वारा श्रीमति सुमित्रा पारीक, उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी, जिला जोधपुर के द्वारा वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक स्थाई सम्पति क्रय करने हेतु ली गई अनुमति की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रतियां (2) श्रीमान सुमित्रा पारीक, उपखण्ड अधिकारी, बावडी जिला जोधपुर का वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक का वार्षिक कार्य मूल्यांकन की नियमानुसार प्रमाणित छायाप्रतियों से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें, अन्यथा [illegible] किये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति [illegible] को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally Signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested